नवभारत

भोपाल, शनिवार, 7 मार्च 2026

एक नजर में

एक दिवसीय जागरुकता कार्यक्रम 10 मार्च को

बैतूल। भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत एमएसएमई विकास कार्यालय इंदौर द्वारा जिला प्रशासन बैतूल के सहयोग से पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के लिए एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 10 मार्च 2026 को सुबह 10.30 बजे जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में आयोजित होगा। प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र श्रीमती तृप्ति पाटिल ने बताया कि कार्यक्रम में पीएम विश्वकर्मा योजना में पंजीकृत लाभार्थी सीधे उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लाभार्थियों को अपना पीएम विश्वकर्मा आईडी कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा। इस अवसर पर लाभार्थियों को उद्यमिता विकास, वित्तीय सहायता, ई-कॉमर्स, केंद्र एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं, प्रशिक्षण एवं टूल किट आदि विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में एमएसएमई विकास कार्यालय इंदौर, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, अग्रणी बैंक, भारतीय डाक विभाग, हथकरघा विभाग तथा शासकीय आईटीआई के अधिकारियों द्वारा योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। जिला प्रशासन ने पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों से कार्यक्रम में उपस्थित होकर इसका लाभ लेने की अपील की है।

मंडी में किसानों की सुविधा पर हुई बैठक

बैतूल। कृषि उपज मंडी समिति बैतूल के सभाकक्ष में शुक्रवार को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सह-भारसाधक अधिकारी की अध्यक्षता में मंडी के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की आकस्मिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंडी में अपनी कृषि उपज विक्रय के लिए आने वाले किसानों को नीलामी, तौल और भुगतान संबंधी होने वाली समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सह-भारसाधक अधिकारी ने किसानों को मंडी प्रांगण में होने वाली असुविधाओं को प्राथमिकता के साथ तत्काल दूर करने के निर्देश मंडी स्टाफ को दिए। साथ ही आगामी गेहूं सीजन को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान गेहूं सीजन में किसानों की उपज की खुली ट्रॉली में ही नीलामी करने, नीलामी के तुरंत बाद प्लेट कांटे पर तुलाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए। कृषि उपज मंडी समिति बैतूल ने किसानों से अपील की है कि आगामी गेहूं सीजन में अपनी उपज को खुली ट्रॉली में ही मंडी में विक्रय के लिए लाएं, ताकि प्राथमिकता के आधार पर ट्रॉली में ही नीलामी कर तुलाई के बाद शीघ्र भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा सके। इससे किसानों के समय की बचत होगी और मंडी की कार्यवाही भी तेज़ी से संपन्न हो सकेगी।

श्रीमती शकुंतला फाटे के निधन पर जताया शोक

बैतूल। भारतीय जनता पार्टी जिले के उपाध्यक्ष एवं पूर्व जिला पंचायत के उपाध्यक्ष नरेश फाटे की माताजी श्रीमती शकुंतला फाटे के असामयिक निधन पर जिला भाजपा परिवार ने शोक संवेदनाए व्यक्त की है। वहीं फाटे परिवार को दुख की इस घडी में ईश्वर से दिवंगत की शांति की कामना परमपिता परमेश्वर से करते हुए भावभींनी श्रृद्धांजलि अर्पित की है।

नि :शुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 मार्च से

नवभारत न्यूज

बैतूल, 6 मार्च. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सत्र 2026-27 में निजी स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 मार्च 2026 से प्रारंभ होंगे।

14 से 30 मार्च तक होगा दस्तावेजों का सत्यापन

2 अप्रैल को लॉटरी सिस्टम से सीटों का आवंटन

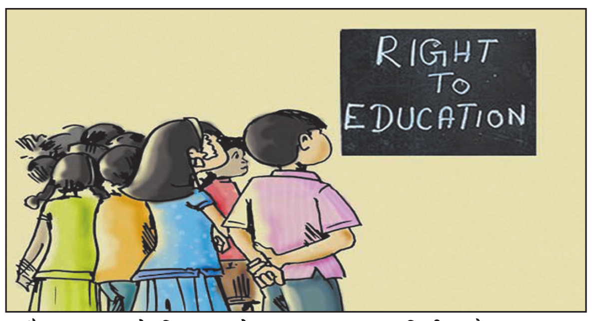

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। आर.टी.ई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप एवं निर्देश उपलब्ध कराये गए हैं। निजी विद्यालय में नि:शुल्क प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन, ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 2 अप्रैल 2026 को किया जायेगा। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र हरजिंदर सिंह ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सत्र 2026-27 में निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए समय-सारिणी भी जारी कर दी गई है। साथ ही सभी जिला कलेक्टरों एवं संबंधित अधिकारियों को विस्तृत निर्देश भी प्रदान किए गए हैं। समय-सारणी एवं दिशा निर्देश आर.टी.ई. पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं। सत्र 2026-27 के लिए जारी समय सारिणी के अनुसार, निश्शुल्क प्रवेश के लिए मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों एवं उनमें उपलब्ध कक्षा की सीट्स का पोर्टल पर प्रदर्शन 09 मार्च 2026 से किया जाएगा। वहीं वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के आवेदक अपना आवेदन, ऑनलाइन प्रक्रिया से 13 मार्च से 28 मार्च 2026 के बीच जमा कर पंजीयन कर सकते हैं। फार्म के साथ पात्रता सम्बंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आवेदकों को इसी अवधि में त्रुटि सुधार का अवसर भी मिलेगा। 14 मार्च से 30 मार्च की अवधि में दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित संकुल केन्द्र वाले स्कूल में अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी से करवाना होगा। आवेदक ने आर.टी.ई. में नि:शुल्क प्रवेश के लिये जिस कैटेगरी/निवास क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश चाहा है, तत्संबंधी कैटेगरी एवं निवास प्रमाण का सत्यापन, संबंधित मूल प्रमाण पत्र से किया जायेगा। लाटरी के पूर्व ही दस्तावेज सत्यापन हो जाने से, आवेदकों को स्कूल आवंटित होने के बाद दस्तावेजों की त्रुटि या अभाव में, एडमिशन निरस्त होने की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। आयु के संबंध में, नर्सरी/के.जी.-1/के.जी-2 कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 03 से 04 वर्ष 06 माह एवं कक्षा-1 में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 06 वर्ष से अधिक से 07 वर्ष 06 माह तक निर्धारित की गई है। सत्र 2026-27 के प्रवेश हेतु नर्सरी/के.जी.-1/के.जी-2 कक्षाओं के लिए आवेदक की आयु की गणना 31 जुलाई 2026 की स्थिति में एवं कक्षा 1 के लिए 30 सितंबर 2026 की स्थिति में की जायेगी। ऑनलाइन लॉटरी की सूची आर.टी.ई. पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी। किसी आवेदक को आवेदन करने में कोई दिक्कत हो या उन स्कूलों की जानकारी चाहिए हों, जहां सीटें खाली हैं, तो आरटीई पोर्टल अथवा सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय अथवा विकासखण्ड स्रोत केन्द्र या जनशिक्षा केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

एसएमएस के माध्यम से मिलेगी जानकारी

ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या या कठिनाई होने की स्थिति में संबंधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है। 02 अप्रैल 2026 को ऑनलाइन लॉटरी द्वारा छात्रों को निजी स्कूलों में सीट का आवंटन किया जायेगा। लॉटरी प्रक्रिया के उपरांत आवंटित सीट की जानकारी, आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर, एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जायेगी। ऑनलाइन लॉटरी की सूची आर.टी.ई. पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी। किसी आवेदक को आवेदन करने में कोई दिक्कत हो या उन स्कूलों की जानकारी चाहिए हों, जहां सीटें खाली हैं, तो आर.टी.ई. पोर्टल अथवा सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय अथवा विकासखण्ड स्रोत केन्द्र या जनशिक्षा केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

10वीं के 19136 विद्यार्थियों ने दी परीक्षा

बैतूल। माध्यमिक शिक्षा मंडल मप्र भोपाल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा-2026 के तहत शुक्रवार को जिले में कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का प्रश्नपत्र शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए जिले में 127 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। जिनमें कुल 19659 परीक्षार्थी दर्ज थे। इनमें से 19 हजार 136 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 523 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए अधिकारियों ने 23 परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। परीक्षा के दौरान सुरक्षा और निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे कहीं भी अव्यवस्था की स्थिति निर्मित नहीं हुई। उन्होंने बताया कि 7 मार्च को कक्षा 12वीं के हिंदी विषय की परीक्षा 110 केंद्रों पर आयोजित होगी।

बेटे ने मां का गला दबाकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

बैतूल। रंगों के त्योहार के बीच बैतूल जिले के साईंखेड़ा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सेमझिरा गांव में एक बेटे ने अपनी ही मां की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई और लोगों में शोक का माहौल है। पुलिस के अनुसार सेमझिरा गांव की रहने वाली गेंदीबाई बाघमारे (70) अपने बेटे लखन बाघमारे (35) के साथ रहती थीं। बताया जा रहा है कि लखन का स्वभाव झगड़ालू था और वह अक्सर घर में विवाद करता रहता था। घरेलू कलह के कारण उसकी पत्नी भी बच्चों को लेकर पहले ही मायके चली गई थी।

जानकारी के मुताबिक 2 मार्च की रात मां-बेटे के बीच फिर से विवाद हुआ। पड़ोसियों ने दोनों के बीच झगड़े की आवाजें भी सुनी थीं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह विवाद इतना गंभीर रूप ले लेगा। आरोप है कि गुस्से में आकर लखन ने अपनी मां का गला दबा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। शुरुआत में महिला की मौत सामान्य लग रही थी, लेकिन घटना संदिग्ध होने के कारण पुलिस ने जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महिला की मौत गला दबाने से हुई है और उनकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई। इसके बाद पुलिस ने पड़ोसियों के बयान दर्ज किए। जांच के दौरान सामने आया कि घटना की रात मां-बेटे के बीच झगड़ा हुआ था। इसी आधार पर पुलिस ने लखन से पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। थाना प्रभारी राजन उईके ने बताया कि आरोपी लखन अक्सर पत्नी और बच्चों के साथ भी मारपीट करता था। घरेलू विवाद के चलते उसकी पत्नी पहले ही मायके चली गई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश किया।

खाद, बीज और कीटनाशक की पर्याप्त व्यवस्था

बैतूल। बैतूल जिले में रबी वर्ष 2025-26 के लिए किसानों को आवश्यक बीज और उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई है।

89463 मे. टन उर्वरक किसानों को वितरित

32201 क्विंटल बीज का किया वितरण

जिले में गेहूं, चना, मसूर, सरसों सहित विभिन्न फसलों के बीजों की पर्याप्त उपलब्धता कराई गई है, जिससे किसानों को समय पर बीज मिल सके। जिले में कुल 26585 क्विंटल बीज की मांग के मुकाबले 33435 क्विंटल बीज उपलब्ध कराए गए हैं और 32201 क्विंटल बीज का वितरण भी किया जा चुका है। इसमें निजी और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों तक बीज पहुंचाया गया है। वहीं रबी सीजन के लिए उर्वरकों की भी पर्याप्त व्यवस्था रही। जिले में यूरिया, डीएपी, एसएसपी, एमओपी और कॉम्प्लेक्स उर्वरकों का कुल 110706 मे0 टन भंडारण किया गया है, जिसमें से 89463 मे. टन उर्वरक किसानों को वितरित किए जा चुका हैं। किसानों को खेती के लिए किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और आवश्यकतानुसार बीज व उर्वरकों की आपूर्ति जारी रखी जा रही है। वर्तमान जायद मौसम 2026 में 19400 हे. क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन फसलें जैसे मूंगफली, मूंग, उड़द एवं मक्का, बुआई का कार्यक्रम लिया जा रहा है। वर्तमान समय तक लगभग 500 हे. क्षेत्र में मूंगफली, मूंग, उड़द एवं मक्का की बुआई किसानों द्वारा की गई है। इस हेतु किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक एवं बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है।

समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन अब 10 तक

बैतूल। रबी विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन की अंतिम तिथि 07 मार्च से बढ़ाकर 10 मार्च की गई हैं। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। खाद्य विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार सिकमी, बटाईदार, कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान केवल सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं में स्थापित पंजीयन केंद्रों पर ही पंजीयन करा सकेंगे। जारी निर्देशानुसार वनाधिकार पट्टाधारी किसानों का वन पट्टा तथा सिकमी/बटाईदार किसानों का सिकमी/बटाई अनुबंध 02 फरवरी 2026 से पूर्व का पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। पंजीयन के दौरान ई-उपार्जन पोर्टल पर मूल भू-स्वामी की सहमति, आधार नंबर एवं अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज की जाएगी। ओटीपी सत्यापन के पश्चात ही पंजीयन मान्य होगा। पंजीयन केंद्र पर किसानों को आधार कार्ड, आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं सिकमी/बटाई अनुबंध की प्रति साथ लाना आवश्यक होगा। प्रस्तुत दस्तावेजों को ऑपरेटर द्वारा स्कैन कर ई-उपार्जन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस श्रेणी के किसानों का शत-प्रतिशत सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।

राज्य स्तरीय शिविर में कालेज की छात्रा का चयन

मुलताई। नगर के सरकारी कालेज की छात्रा काजल परिहार का चयन राज्य एनएसएस द्वारा आयोजित %राज्य स्तरीय नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर 2026% के लिए हुआ हैं। एनएसएस पुरुष इकाई कार्यक्रम अधिकारी प्रो. प्रकाश कुमार गीते ने बताया मध्यप्रदेश शासन द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य स्तरीय नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता हैं। इस वर्ष भी यह राज्य नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 8 मार्च 2026 से 14 मार्च 2026 तक चित्रकूट (दीनदयाल शोध संस्थान, उद्यमिता परिसर) विकासखंड तहसील मझगांव जिला सतना में होगा। महाविद्यालय से शुक्रवार को

शिविर में सहभागिता करने जा रही एनएसएस की छात्रा काजल परिहार को शुभकामनाएं और मार्गदर्शन देने के लिए कालेज मे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमे महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. कमलेश सरिया ने कहा एनएसएस विद्यार्थियों की प्रतिभा निर्माण में एक सशक्त माध्यम हैं, उन्होंने राज्य स्तर पर महाविद्यालय और जिले का प्रतिनिधित्व करने जा रही काजल को शुभकामनाएं और उपहार भेंट किए। वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. बीआर.बारस्कर ने भी एनएसएस को विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण और व्यक्तित्व निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एनएसएस महिला इकाई कार्यक्रम अधिकारी प्रो. प्रियंका भोपते, डॉ. ममता राजपूत, डॉ. पंकज झाड़े, क्रीड़ा अधिकारी विजय पहाड़े एवं विद्यार्थियों ने काजल परिहार को इस उपलब्धि और शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु पुष्पगुच्छ भेट कर शुभकामनाएं प्रेषित की।

ठेका श्रमिकों के एरियर्स भुगतान में देरी से बढ़ा असंतोष

पाथाखेड़ा। क्षेत्र में कार्यरत ठेका श्रमिकों के एरियर्स भुगतान को लेकर एक बार फिर असंतोष गहराता जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय मजदूर ठेका श्रमिक संघ, शाखा सारनी ने इस संबंध में मुख्य अभियंता (उत्पादन) को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र भुगतान कराने की मांग की है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र की कुछ फर्मों एवं ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों का एरियर्स भुगतान कर दिया गया है, लेकिन ईटीपी-4 विभाग के कई श्रमिक अब तक इस भुगतान से वंचित हैं। विशेष रूप से ठेकेदार नारायण सोनकी तथा नवीन शिवहरे द्वारा श्रमिकों को बोनस एवं एरियर्स का भुगतान नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया है। संघ के अनुसार, लंबे समय से भुगतान लंबित रहने के कारण श्रमिकों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। मजदूरों का कहना है कि लगातार मांग के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा, जिससे परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। संघ ने प्रबंधन से मांग की है कि संबंधित ठेकेदारों को तत्काल निर्देश देकर श्रमिकों का बकाया एरियर्स एवं बोनस का भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो श्रमिक संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा।

प्रचार वाहनों को हरी झंडी देकर किया रवाना

बैतूल। 14 मार्च को जिला मुख्यालय बैतूल एवं सिविल न्यायालय आमला, भैंसदेही तथा मुलताई में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये शुक्रवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल दिनेश चन्द्र थपलियाल द्वारा 06 प्रचार वाहनों को जिला न्यायालय परिसर बैतूल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

विद्युत विभाग व नगर पालिका के प्रचार वाहन बैतूल शहर के लगभग सभी वार्डों एवं मुख्य सड़कों व शहर की गलियों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन एवं इसके लाभ के बारे में लोक अदालत जिंगल द्वारा प्रचार-प्रसार करेगें। उक्त अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती संगीता भारती राठौर, न्यायाधीश श्री राजकुमार भद्रसेन तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सोमनाथ राय, विद्युत विभाग के अधिकारीगण तथा अन्य न्यायाधीशगण व लीगल एड डिफेंस काउंसल तथा न्यायालय, विद्युत तथा नगर पालिका के कर्मचारी गण उपस्थित रहे।

वेतन कटौती के आरोपों से भड़के ठेका मजदूर, पहुंचे थाने

पाथाखेड़ा। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) के पाथाखेड़ा क्षेत्र में ठेका मजदूरों के वेतन से कथित अवैध वसूली का मामला अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। आंदोलन के आठवें दिन शुक्रवार को बड़ी संख्या में ठेका मजदूर न्याय की गुहार लेकर थाना सारनी पहुंचे और ठेकेदारों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। अब तक कुल 168 मजदूरों द्वारा शिकायत पत्र सौंपे जाने से पूरे क्षेत्र में इस मुद्दे को लेकर तीखी चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि आनन फानन में प्रबंधन अधिकारियों ने ठेकेदारों की बैठक होने की जानकारी मिली है बैठक में मजदूरों की मांग को लेकर विश्लेषण होने की संभावना है। मजदूरों ने आरोप लगाया कि ठेकेदारों द्वारा वेतन भुगतान में भारी अनियमितता बरती जा रही है। उनका कहना है कि 32,500 रुपये मासिक वेतन में से लगभग 19,000 रुपये प्रति माह जबरन वापस लेने का दबाव बनाया जाता है। मजदूरों का आरोप है कि यदि वे पैसे वापस नहीं करते तो उन्हें काम से निकालने और ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी जाती है। इस पूरे घटनाक्रम से श्रमिक बस्तियों, गली-मोहल्लों और चौक-चौराहों पर आक्रोश का माहौल बन गया है। मजदूरों का कहना है कि वर्षों से मेहनत करने के बावजूद उन्हें शोषण और भय के साये में काम करना पड़ रहा है। मामले को लेकर श्रमिक समाजसेवी प्रदीप नागले, संतोष देशमुख और मनोज पवार ने इसे मजदूरों के अधिकारों पर सीधा हमला बताया। उनका कहना है कि मजदूरों की मेहनत की कमाई को जबरन वापस लेना न केवल अमानवीय है बल्कि कानूनन भी गंभीर अपराध है। उन्होंने बताया कि पूरे प्रकरण की जानकारी डब्ल्यूसीएल के सीएमडी, नागपुर मुख्यालय को भी भेज दी गई है और दोषी ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं थाना प्रभारी जयपाल इवनाती ने मजदूरों की शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए पूरे मामले की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी में महिला मजदूरों से भी वेतन में कटौती का आरोप सामने आया है, जहां 14 हजार रुपये वेतन में से लगभग 10 हजार रुपये वापस लेने का दबाव बनाए जाने की बात कही गई है। थाना प्रभारी ने स्पष्ट कहा कि यदि मजदूरों से वेतन वापस लेने का दबाव बनाया गया है तो यह कानूनन अपराध है। मामले की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गिरफ्तारी | **पाथाखेड़ा पुलिस फरार आरोपियों की कर रही तलाश**

पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर जानलेवा हमला, चार गिरफ्तार, दो फरार

सारनी। पुलिस ने हत्या के प्रयास करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होना शेष

गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में किया पेश

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 मार्च की रात्रि में राजेंद्र नगर पाथाखेड़ा में पुरानी रंजिश के चलते घटना में आहत राजकमल गिरी पिता संजय गिरी कुमार (24) निवासी राजेंद्र नगर पाथाखेड़ा को आरोपी समीर अंसारी पिता आलम अंसारी उमर 22 साल निवासी कैलाश नगर शोभापुर कॉलोनी, प्रमोद उर्फ तरूण लाहोरिया पिता गयाप्रसाद लाहोरिया कुमार 29 साल निवासी अंबेडकर नगर पाथाखेड़ा, सागर पवार पिता रामकिशोर पवार उमर निवासी जगजीवन नगर पाथाखेड़ा, पवन पुरी पिता भोला पुरी उम्र 28 साल निवासी आजाद नगर पाथाखेड़ा, मयूर पिता अनूप मकवाने उमर 23 साल निवासी बस स्टैंड के पीछे पाथाखेड़ा और मुकेश पिता राजकरण जायसवाल उम्र 35 साल निवासी जगजीवन नगर पाथाखेड़ा के द्वारा मारपीट कर गंभीर चोटे पहुंचाई गई, जो कि पीड़ित राजकमल गिरी को प्राण घातक चोट आने से प्रकरण धारा 296 (ए) 109(1) 3(5) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी समीर अंसारी पिता आलम अंसारी निवासी कैलाश नगर शोभापुर कॉलोनी, प्रमोद उर्फ तरूण लाहोरिया पिता गयाप्रसाद लाहोरिया कुमार निवासी अंबेडकर नगर पाथाखेड़, सागर पवार पिता रामकिशोर पवार उमर निवासी जगजीवन नगर पाथाखेड़ा, पवन पुरी पिता भोला पुरी निवासी आजाद नगर पाथाखेड़ा को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया एवं अन्य आरोपी मयूर मकवाने एवं मुकेश जायसवाल की गिरफ्तारी होना शेष है।

महिला ने खाया जहरीला पदार्थ, मौत

बैतूल। बोरदेही थाना क्षेत्र के टापरवाणी गांव में एक महिला की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। मृतका की पहचान 39 वर्षीय प्रमिला पति शम्मूलाल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार 4 मार्च को प्रमिला और उनके पति के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके अगले दिन, 5 मार्च की दोपहर को महिला ने कथित तौर पर जहर खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे बोरदेही से जिला अस्पताल बैतूल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार को जिला अस्पताल में महिला का पोस्टमार्टम किया गया। घटना से परिजन सदमे में हैं और मौत की स्पष्ट वजह नहीं बता पा रहे हैं। पति शम्मूलाल ने भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है।

सांपना की नहरों से नहीं मिल रहा पानी

बैतूल। सांपना जलाशय की नहरों से सिंचाई का पानी नहीं मिलने से किसान आक्रोशित हैं। शुक्रवार को बडोरा, भरकवाड़ी और भोगी टेढ़ा गांवों के किसानों ने जल संसाधन विभाग के कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और जल्द पानी छोड़ने की मांग की। किसानों ने बताया कि सांपना जलाशय का पानी 25 फरवरी तक नहरों में छोड़ने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 6 मार्च तक भी पर्याप्त पानी नहीं पहुंचा है। किसानों का आरोप है कि विभाग पहले दिन से ही नहर में पानी का गेज बढ़ाने की मांग को टाल रहा है, जिससे उनकी फसलें सूखने की कगार पर हैं। किसानों के अनुसार, फसल को 20 से 22 दिन के भीतर पानी मिलना आवश्यक होता है, लेकिन दूसरी

नहर में पानी आए लगभग 40 दिन हो चुके हैं। समय पर सिंचाई न होने से फसल में दाना भरने में समस्या आ सकती है, जिससे उपज प्रभावित होगी। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि विभाग ऊपरी नहरों में तो पानी ठीक से दे रहा है, लेकिन डी-वन और डी-टू नहरों में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। किसान लगातार नहरों की स्थिति की तस्वीरें भेजकर भी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। किसान सुनील वर्मा ने बताया कि मजबूरन किसानों को विभाग के कार्यालय आना पड़ा। किसानों की समस्या सुनने के बाद अधिकारियों ने अधिशासी अभियंता (ईई) और अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओ) से चर्चा की और नहरों में अधिक गेज से पानी छोड़ने का लिखित आश्वासन दिया।